

प्राक्कथन

1. कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के उपबंधों के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अधीन सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखाओं की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है जिसकी टिप्पणियां सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनो में शामिल की जाती है। इसके अतिरिक्त इन कम्पनियों की सीएजी द्वारा नमूना जाँच भी की जाती है।
2. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को शासित करने वाली संविधियों में सीएजी द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की अपेक्षा की गई है। पाँच ऐसे निगमो यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में सुसंगत संविधियों के अधीन सीएजी उनका एकमात्र लेखापरीक्षक है। एक निगम यथा सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के संबंध में सीएजी को निगम को शासित करने वाली संबंधित संविधि के अधीन नियुक्त किए गए सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के बाद अनुपूरक और नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।
3. एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं के संबंध में रिपोर्ट 1984 में यथा संशोधित सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के उपबंधों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
4. 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट को दो खण्डों में तैयार किया गया है। यह इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट का खण्ड I है और इसमें सात मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन 28 पीएसयूज से संबंधित 31 पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को शामिल किया गया है। खण्ड II में सात मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन 18 पीएसयूज से संबंधित 37 पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में उल्लिखित दृष्टान्त उन मामलों में से हैं जो 2013-14 और पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। कुछ मामलों में मार्च 2014 के बाद के लेन देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम भी उल्लिखित किए गए हैं।

5. इस रिपोर्ट में सरकारी कम्पनियों/निगमों या पीएसयू के सभी 'प्रसंग केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों' के प्रसंग में माने जाएं जब तक कि संदर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।
6. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।